रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062020-220248
CG-DL-E-29062020-220248

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	**नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2020/आषाढ़ 8, 1942**
No. 319]	**NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2020/ASADHA 8, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2020

सा.का.नि. 421(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के परंतुक के खंड (XI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, नियम 11पकग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के परंतुक के खंड (XI) के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का विहित वर्ग

11पकग. धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (x) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, –

(1) कोई स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हो, जहां केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निवासी के पक्ष में ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्वामित्व या अंतरण या बंधक का अधिकार प्रदत्त करने या मान्यता

देने के लिए प्रतिफल के संदाय का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों सहित नवीनतम मुख्तारनामा, विक्रय करने का करार, विल, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेज, जिसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में किसी अप्राधिकृत कालोनी के निवासी द्वारा प्राप्त किया गया है;

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) "निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अप्राधिकृत कालोनियों में किसी संपत्ति के संबंध में प्रतिफल के संदाय का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या नवीनतम मुख्तारनामा का संवर्ग, विक्रय करने का करार, विल, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का भौतिक कब्जा रखता है और इसके अंतर्गत उसके विधिक वारिस भी है, किंतु किराएदार, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञेय उपभोक्ता सम्मिलित नहीं है;

(ख) "अप्राधिकृत कालोनी" का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का 45) में है;

(2) किसी कंपनी और उसकी समनुषंगी तथा किसी शेयर धारक द्वारा ऐसे समनुषंगी की समनुषंगी की किसी जंगम सम्पति जो कोट न किए गये शेयर हैं, जहां –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर अधिकरण ने ऐसे कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नए निदेशक नियुक्त कर दिया है; और

(ii) ऐसी कंपनी और उसके समनुषंगी के शेयर तथा ऐसे समनुषंगी के समनुषंगी अधिकारिता का प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा अनुमोदित एक संकल्प योजना के अनुसरण में प्राप्त की गई है ।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, --

(क) कोई कंपनी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, उस कंपनी के साधारण अंश पूंजी के आधे से अधिक अभिहित मूल्य धारित करती है;

(ख) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में है ।

(3) कोई जंगम संपत्ति पुनर्निर्मित बैंक का साधारण शेयर विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ता बैंक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त किया हो, जहां उक्त शेयर स्कीम के पैरा 3 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट कीमत पर स्कीम के अधीन पुनर्निर्मित बैंक द्वारा आबंटित किया गया है ।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, --

(क) "विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो स्कीम के पैरा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ख) में है;

(ख) "विनिधानकर्ता बैंक" का वही अर्थ होगा जो स्कीम के पैरा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ग) में है;

(ग) "पुनर्निर्मित बैंक" का वही अर्थ होगा जो स्कीम के पैरा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ग) में है;

(घ) "स्कीम" से यस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्सन स्कीम, 2020 अभिप्रेत है ।

[अधिसचूना सं. 40 /2020/फा. सं. 370149/143/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

स्पष्टीकारक ज्ञापन :- यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415 (अ), तारीख 26 जून 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2020

G.S.R. 421(E).— In exercise of the powers conferred by clause (XI) of the proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Income-tax (14^{th} Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2020 and shall be applicable for assessment year 2020-21and subsequent assessment years.

2. In the Income-tax Rules, 1962, for rule 11UAC, the following rule shall be substituted, namely:—

Prescribed class of persons for the purpose of clause (XI) of the proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56.

11UAC. The provisions of clause (x) of sub-section (2) of section 56 shall not apply to,-

(1) any immovable property, being land or building or both, received by a resident of an unauthorised colony in the National Capital Territory of Delhi, where the Central Government by notification in the Official Gazettee, regularised the transactions of such immovable property based on the latest Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter and other documents including documents evidencing payment of consideration for conferring or recognising right of ownership or transfer or mortgage in regard to such immovable property in favour of such resident.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule,-

(a) "resident" means a person having physical possession of property on the basis of a registered sale deed or latest set of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter and other documents including documents evidencing payment of consideration in respect of a property in unauthorised colonies and includes their legal heirs but does not include tenant, licensee or permissive user;

(b) “unauthorised colony” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019 (45 of 2019).

(2) any movable property, being unquoted shares, of a company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary received by a shareholder, where,—

(i) the Tribunal, on an application moved by the Central Government under section 241 of the Companies Act, 2013, has suspended the Board of Directors of such company and has appointed new directors nominated by the Central Government under section 242 of the said Act; and

(ii) share of company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary has been received pursuant to a resolution plan approved by the Tribunal under section 242 of the Companies Act, 2013 after affording a reasonable opportunity of being heard to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule,-

(a) a company shall be a subsidiary of another company, if such other company holds more than half in nominal value of the equity share capital of the company;

(b) "Tribunal" shall have the meaning assigned to it in clause (90) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(3) any movable property, being equity shares, of the reconstructed bank, received by the investor or the investor bank, as the case may be, where the said share has been allotted by the reconstructed bank under the scheme at a price specified in sub-paragraph (3) of paragraph 3 of the scheme.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule,-

(a) "investor" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (b) of clause (1) of paragraph 2 of the Scheme;

(b) "investor bank " shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (c) of clause (1) of paragraph 2 of the Scheme;

(c) "reconstructed bank" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (d) of clause (1) of paragraph 2 of the Scheme;

(d) "Scheme" means Yes Bank Limited Reconstruction Scheme, 2020.

[Notification No. 40 /2020/F. No.370149/143/2019-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R No. 415 (E) dated 26th June , 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.